सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग–4

वृहस्पतिवार, तिथि 06 चैत्र, 1947 (श०) / 27 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या–01

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	01
कुल योग	01

सम्राट अशोक भवन का निर्माण

"क" *2067 **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (समस्तीपुर)** क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय में सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए नगर परिषद्, समस्तीपुर (सम्प्रति नगर निगम, समस्तीपुर) द्वारा विभाग को तीन वर्ष पूर्व ही प्रस्ताव भेजा गया है,

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा एक वर्ष पूर्व ही विचार किया गया है, लेकिन निविदा की प्रक्रिया अभी तक लम्बित है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समस्तीपुर जिला मुख्यालय में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य कबतब कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट:- 'क' दिनांक-25.03.2025 को सदन द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक-27 मार्च, 2025 (ई०) ।

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 06 चैत्र, 1947 (श०) / 27 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 110

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	19
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	41
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	33
(4)	कृषि विभाग	05
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	09
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	03
	कुल योग --	110

कार्रवाई करना

*2392. श्री आनन्द शंकर सिंह (औरंगाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद सदर अंचल में अंचलाधिकारी की पदस्थापना नहीं होने से प्रभार में कार्य चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद सदर और देव अंचलों में दाखिल-खारिज, परिमार्जन और जमाबंदी के कार्यों में अधिकारियों और कर्मचारियों की शिथिलता के कारण लोगों के कार्य लम्बित हो रहे है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार औरंगाबाद अंचल में अंचलाधिकारी की पदस्थापना करते हुये लोगों के भूमि संबंधित कार्यों में उक्त दोनों अंचलों में होने वाली देरी की विभागीय जाँच करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पी0सी0सी0 सड़क-सह-नाली निर्माण

*2393. श्री संदीप सौरभ (पालीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत स्थित पानी टंकी कब्रिस्तान से पाली महाबलीपुर रोड स्थित बालाजी मोड़ तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण नहीं होने के कारण आमजनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर पी0सी0सी0 सड़क एवं नाली तथा सड़क के बीच में एक पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण

*2394. श्री चन्द्रशेखर (मधेपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र के सभी चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार नहीं है, जिससे आम नागरिकों खासकर महिलाओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर परिषद् क्षेत्राधीन सभी चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*2395. श्री मुहम्मद इजहार असफी (कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कोचाधामन डेरामारी पंचायत के वार्ड नं0-06 में हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत कार्य कराया गया है, जबकि वार्ड नं0-06 के 50-60 परिवारों के घरों में पाइप और नल क्षतिग्रस्त रहने के कारण पानी सप्लाई बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत के वार्ड नं0-06 में वंचित परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टाउन हॉल का निर्माण

*2396. श्री दामोदर रावत (झाझा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत झाझा नगर परिषद् के चरघरा मौजा स्थित 'सम्राट अशोक टाउन हॉल' का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू किया गया था, जो अबतक पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसके कारण उक्त नगर परिषद् में सांस्कृति, वैवाहिक सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में आमजनों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त 'सम्राट अशोक टाउन हॉल' का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2397. श्री विनय कुमार (गुरुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल हेतु चापाकल लगाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा या किसी अन्य विभाग द्वारा लगाये गये चापाकल जो गुरारू प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, करमा, पाण्डेय पोखा सूर्यमंदिर तथा देवीस्थान, गुरारू अहियापुर रोड में करमा मोड़ यात्री रोड के पास चापाकल काफी दिनों से खराब रहने के कारण ग्रामीणों तथा आगन्तुक यात्रियों को पेयजल के समस्या परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खराब चापाकलों का मरम्मती तथा जाँचोपरान्त दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*2398. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत चेवाड़ा प्रखंड के लहना पंचायत के ग्राम-घारी में कई स्थानों पर पाइप क्षतिग्रस्त एवं ग्राम-वेंगुचा के वार्ड नं0-04 में कई स्थानों पर पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल का लाभ नहीं मिल रहा है जिससे कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 296/2024, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा को वर्णित स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाइप का जीर्णोद्धार कराने हेतु पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित स्थानों पर शीघ्र क्षतिग्रस्त पाइप का मरम्मतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टेम्पू स्टैंड का निर्माण

*2399. श्रीमती मंजु अग्रवाल (शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड अन्तर्गत शेरघाटी नगर परिषद् में टेम्पों/ई-रिक्शा स्टैण्ड नहीं रहने के कारण उक्त वाहनों का पड़ाव यंत्र-तत्र होने से प्राय: जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर परिषद् शेरघाटी में टेम्पों/ई-रिक्शा स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2400. श्री भाई वीरेन्द्र (मनेर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत मरौना अंचल स्थित बसखोड़ा ग्राम में खेसरा संख्या 362, 346, 347 एवं अन्य में करीब एक बीघा सरकारी भूमि का अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति करना

*2401. श्रीमती मनोरमा देवी (बेलागंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बेलागंज विधान सभा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ का भू-जलस्तर सामान्य से काफी नीचे है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेलागंज क्षेत्र में नल-जल योजना से सभी स्थानों पर जलापूर्ति नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेलागंज विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने हेतु स्थान चिह्नित कर अधिक क्षमता की बोरिंग के साथ पानी टंकी स्थापित कर जलापूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन बनाना

*2402. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (बनमनखी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखंड के रामनगर फरसाही पंचायत को जानकीनगर नगर पंचायत में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् रामनगर फरसाही में चार वर्ष पूर्व से अर्द्धनिर्मित पंचायत सरकार भवन अस्तित्व विहीन हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जानकीनगर नगर पंचायत के रामनगर फरसाही में अर्द्धनिर्मित पंचायत सरकार भवन को सुसज्जित कर सामुदायिक भवन/कन्वेंशन सेन्टर बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*2403. श्री संतोष कुमार मिश्र (करगहर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के करगहर प्रखंड के ग्राम-चिलबिली पंचायत रीवां में नल-जल योजना के तहत लगे हुये पानी टंकी का मोटर विगत सात-आठ महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे की पूरे गाँव में नल-जल योजना से सप्लाई होने वाला पानी का सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा बार-बार विभाग को कहने के उपरान्त भी आजतक उक्त मोटर को रिप्लेस/हटाकर नया मोटर नहीं लगाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-चिलबिली में मोटर को बदलकर नया मोटर लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*2404. श्री कुंदन कुमार (बेगूसराय)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत के वीरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत वीरपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड-05, 08 एवं 10 में तथा बरौनी प्रखण्ड के बथौली पंचायत में हर घर नल-जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा है, यदि हाँ, तो इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए सभी को उक्त योजना का लाभ पहुँचाने एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चबूतरा का निर्माण कराना

*2405. श्री भूदेव चौधरी (धौरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत मनीगाछी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राघोपुर उत्तरी के ग्राम-नारायणपुर में मुख्यमंत्री क्षेत्र योजना अंतर्गत बन रहे छतदार चबूतरा निर्माण कार्य हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्रांक 19, दिनांक 31 मई, 2022 को अनुशंसा की गई थी, तथा अंचल अधिकारी मनीगाछी के पत्रांक 529, दिनांक 21 जुलाई, 2022 द्वारा खाता संख्या 1632 नया एवं खेसरा 1452, 1453, 1456, 1457 को अनावाद सर्वसाधारण भूमि बताते हुये अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत होने के पश्चात् जिला योजना कार्यालय द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2022 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसके उपरांत उक्त चबूतरा का निर्माण कार्य शुरू किया गया था परन्तु निर्माण कार्य अवरूद्ध अधूरा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त स्थान पर चबूतरा का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण करना

*2406. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत में 1,52,03,200 की लागत से बनने वाला अशोक सम्राट भवन का निर्माण कार्य 31 जून, 2022 को ही पूरा करना था, लेकिन इसे आधा अधूरा बनाकर ही इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इस भवन का निर्माण कार्य कबतक पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति करना

*2407. श्री सिद्धार्थ सौरव (बिक्रम)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड-नौबतपुर के नगर पंचायत 5, 9 एवं अन्य वार्डों में नल-जल योजना ठप है, जिससे स्थानीय लोगों को पेयजल हेतु काफी कठिनाई हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित वार्डों में नल-जल को सुचारू रूप से चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2408. श्री अजय यादव (अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड-नीमचक बथानी के ग्राम पंचायत बथानी के ग्राम-सोनसा के वार्ड नं0-2 में नल-जल योजना के तहत ग्रामीणों के पानी पीने के सुविधा के लिए बोरिंग कराया गया है, परन्तु उक्त वार्ड में पाइप का कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को पानी के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम के वार्ड नं0-2 में संवेदक पर कार्रवाई करते हुए नल-जल योजना अंतर्गत पाइप बिछाकर बोरिंग चालू करवाने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2409. श्री अशोक कुमार सिंह (पारू)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सरैया अंचल के तत्कालिक अंचलाधिकारी श्री नारायण बैठा के विरुद्ध समाहरणालय, मुजफ्फरपुर (जिला भूमि सुधार प्रशाखा) के पत्रांक 2026, दिनांक 11 अप्रील, 2023 को आरोप-पत्र गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को भेजा गया था, लेकिन आजतक उक्त अंचलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के पत्रांक के आधार पर श्री नारायण बैठा अंचलाधिकारी सरैया के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी टंकी को बदलना

*2410. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (राजा पाकर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के प्रखंड राजापाकर अंतर्गत गौसपुर पंचायत के दलित टोला में नल-जल की टंकी फटी होने के कारण पेय जलापूर्ति बाधित है, जिसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों एवं अभियंताओं से करने के उपरांत बदली गई पानी टंकी भी फटी होने से पेयजल वांछित है, यदि हाँ, तो सरकार वैशाली जिला के प्रखंड राजापाकर अंतर्गत गौसपुर पंचायत के दलित टोला में फटी हुई पानी टंकी को बदलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिकार देना

*2411. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बटाईदार किसानों द्वारा खेती की जाती है, परन्तु बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और न पहचान-पत्र दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि पर दिए जाने वाले अनुदान के साथ पी0 एम0 किसान सहायता योजना की राशि का लाभ जमीन मालिकों को दिया जाता है, जिससे असल में खेती करने वाले बटाईदार किसान वंचित रहते है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वास्तव में खेती, किसानी संभाल रहे बटाईदार किसानों को पहचान-पत्र देकर कृषि अनुदान आदि को हासिल करने का अधिकार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2412. श्री आबिदुर रहमान (अररिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के रानीगंज अंचल के अंचलाधिकारी पर लोगों द्वारा अवैध उगाही के सम्बन्ध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को साक्ष्य के साथ पत्र लिख गया है जिससे संबंधित जांच लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड एक में वर्णित पदाधिकारी के एच0डी0एफ0सी0 खाता एवं स्टेट बैंक खाता संख्या-39874651472 एवं उनके परिचित अनुनय कुमार के स्टेट बैंक खाता संख्या-37183665236 में रिश्वत की राशि-200000, 75000 एवं 200000 जमा राशि का पावती रशीद एवं अन्य लेनदेन का साक्ष्य लगाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में वर्णित पदाधिकारी को जांच पूरी होने तक अंचलाधिकारी के कार्य से मुक्त रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि अधिग्रहण करना

*2413. श्री कुमार शैलेन्द्र (बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में कोशी नदी के कटाव से गोविंदपुर मुशहरी और कहारपुर के पीड़ित परिवार बिहपुर के रेलवें स्टेशन के पूर्वी केबिन और सड़क के किनारे रहने को विवश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर बसे पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दाखिल-खारिज करना

*2414. डॉ0 रामप्रीत पासवान (राजनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला-मधुबनी के अंचल राजनगर के अन्तर्गत पंचायत कोइलख एवं रॉटी मौजे के रैयतों का जमीन से संबंधित पंजी-2 रजिस्टर क्षतिग्रस्त रहने के कारण अधिकांश रैयतों का परिमार्जन, दाखिल-खारिज का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई कर दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों का निपटारा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*2415. श्री दिलीप राय (सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीनों को तीन डिसमिल भूमि देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी अन्तर्गत खरहुआ ग्राम में सिकन्दरा ठाकुर, अशोक ठाकुर, सुबोध ठाकुर, नवीन ठाकुर सहित कई अति पिछड़ा समाज के परिवार भूमिहीन हैं, जबकि उक्त ग्राम में खाता-1555 खेसरा-4966 सहित अन्य स्थल पर सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज उपलब्ध कराना

*2416. श्री अजय कुमार (बिभुतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत किसानों को खरीफ 2024-25 में सरकार द्वारा दी जानेवाली अनुदानित धान का बीज सबौर, श्री एवं सबौर सम्पन्न सामान्य (ओ0पी0) प्रजाति का बीज है, जो 140 से 155 दिनों में तैयार होता है, जिसे किसान लेना नहीं चाहते हैं, यहाँ के किसान धान संकर प्रजाति के बीज जैसे पायोनियर 27 पी031, 27 पी037, पी0एच0बी0 71,6444 से खेती करते हैं एवं संकर मक्का की खेती रबी मौसम में करते हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार किसानों को धान का सामान्य (ओ0पी0) प्रजाति के बदले संकर प्रजाति (हाइब्रिड) एवं रबी मौसम में संकर मक्का का बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फिश मार्केट बनाना

*2417. श्री मुरारी मोहन झा (केवटी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में सबसे अधिक मछली का उत्पादन मिथिला क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिला में होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आंध्र प्रदेश राज्यों में 150 से अधिक अत्याधुनिक फिश मार्केट है जबकि बिहार में एक भी नहीं है जिस कारण लोगों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त राज्यों की तरह बिहार में भी अत्याधुनिक फिश मार्केट बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण कराना

*2418. श्री छत्रपति यादव (खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के नगर पंचायत मानसी अंतर्गत वार्ड नं0 10 में सत्यनारायण यादव के घर से अवधेश यादव मास्टर साहब के घर होते सागर यादव के घर के नजदीक कुआँ तक जानेवाली सड़क जर्जर रहने के कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार देना

*2419. श्री राज कुमार सिंह (मटिहानी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों से पूरे राज्य में राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर सरकार द्वारा रोक के पश्चात् वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राज्यहित में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0 19300, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के माध्यम से उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार पशु चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी विहित अर्हता रखने के बावजूद उच्चतर पद का प्रभार नहीं दिया गया है, जबकि राज्य के सभी अन्य विभागों ने अपने अधीनस्थ कर्मियों को वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार बहुत पहले दे दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य विभागों की भाँति उक्त संवर्ग के पशु चिकित्सकों को रिक्त पदों पर उच्चतर पद का प्रभार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2420. श्री शंकर सिंह (रूपौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत भवानीपुर अंचल मुख्यालय में स्थित लगभग 19 एकड़ जमीन जिसपर भवानीपुर प्रखंड कार्यालय 1952 से चल रहा है तथा रजिस्टर 2 के अनुसार उक्त जमीन दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह के नाम से दर्ज है, जो सरकार के संरक्षण में है परंतु अतिक्रमणकारी द्वारा अवैध रूप से उक्त जमीन के कुछ भाग को बेच दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए बेचे गये जमीन का अधिग्रहण कर उक्त जमीन को संरक्षित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खाद आपूर्ति करना

*2421. श्री रणविजय साहू (मोरवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरवा विधान सभा क्षेत्र के अधीन मोरवा, ताजपुर और पटोरी प्रखंडों में किसानों द्वारा बहुतायात रूप से मक्का की खेती की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखंडों में यूरिया, खाद की कमी के कारण किसानों को काला बाजारी के तहत छः सौ (600) से सात सौ (700) रुपये तक यूरिया खाद की खरीद करनी पड़ रही है जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में खाद की कालाबाजारी रोकते हुए किसानों को उचित मूल्य पर खाद आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2422. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (सिकंदरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के अंचलाधिकारी घोघरडीहा द्वारा दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित अन्य आवेदन बिना किसी ठोस कारण के महीनों/वर्षों तक लंबित रखा जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में लंबित सभी आवेदनों के निष्पादन हेतु तकनीकी खामी को दूर करते हुए विलंब के लिए दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*2423. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत प्रखंड मैरवा के ग्राम-श्रीनगर के वार्ड 12 में लोग शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना

*2424. श्री मुकेश कुमार रौशन (महुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड स्थित बसुहारी पंचायत के वार्ड नं0 1, 2 एवं 3 वार्डों में नल जल योजना चालू नहीं है, जिसके कारण आमजनता को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं होती है, जबकि आमजनता द्वारा वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों में कबतक नल जल योजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का निर्माण

*2425. श्री जितेंद्र कुमार (अस्थावां)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखंड के सरमेरा नगर पंचायत के सरमेरा चेरो पथ से सरमेरा दाढ़ी टोला, पूरब टोला, कहार टोला तक नया पथ निर्माण होने से एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण हेतु जिला स्तर पर सर्वे कर डी0पी0आर0 भी तैयार किया जा चुका है, परंतु बजट के अभाव में आगे की कार्रवाई लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित पथ के लिए बजट आवंटित कर एवं बड़ी आबादी को लाभान्वित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2426. श्री राम विशुन सिंह (जगदीशपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर नगर पंचायत में झंझरिया पोखरा का नाम बदलकर कुँवर सिंह का तालाब, झंझरिया पोखरा एवं नगर पंचायत कार्यालय के सामने का पोखरा बताकर तीन बार फर्जी कागजात बनाकर सरकारी राशि की निकासी कर ली गयी है और न ही किसी भी योजना का शिलापट्ट लगाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज का निर्माण

*2427. श्री महा नंद सिंह (अरवल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से नाली का पानी शहर की गलियों में जमा रहता है, जिससे शहरवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में ड्रेनेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोखर का जीर्णोद्धार

*2428. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी नगर निगम के वार्ड नं० 32 के खेसरा नं० 5185, 2459, 2460, 2461 एवं 2525 में आठ बीघा का पोखर अवस्थित है, जिसका जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण अनुपयोगी पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पोखर का जीर्णोद्धार करते हुये सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सर्वे कराना

*2429. श्रीमती अनिता देवी (नोखा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जबकि 50 वर्षों से राज्य के शहरी क्षेत्रों का सर्वे नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ग्रामीण क्षेत्रों के तरह शहरी क्षेत्रों की जमीन का भी सर्वे कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2430. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत बसंतपुर नगर पंचायत में आजतक यात्री शेड, टैक्सी स्टैण्ड, सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बसंतपुर नगर पंचायत में टैक्सी स्टैण्ड, सम्राट अशोक भवन और यात्री शेड का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

*2431. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (नवीनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत मढ़ौरा नगर पंचायत क्षेत्र में धेनुकी मोड़ से मढ़ौरा स्टेशन तक जाने वाली सड़क अतिक्रमित होने एवं वाहनों के यत्र-तत्र पड़ाव से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र को जाम की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*2432. श्री श्रीकान्त यादव (एकमा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत लहलादपुर प्रखंड के दन्दासपुर पंचायत एवं एकमा प्रखंड के नवादा पंचायत में नल-जल योजना अन्तर्गत जलापूर्ति बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाम जोड़ना

*2433. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (जहानाबाद)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में प्रपत्र 'ख' के माध्यम से कार्ड सं० 102350147780, 141300016749, 102350147780, 141300016235 सहित हजारों कार्डधारियों द्वारा विगत एक वर्षों से ऑनलाइन/ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के बाद भी पात्र लाभुकों का नाम राशन कार्ड में अबतक नहीं जुट सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2434. श्री सुरेन्द्र राम (गरखा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा 41-65 किलोग्राम तक की बोरी लोडिंग/अनलोडिंग का न्यूनतम निर्धारित मजदूरी दर 11.64 रुपये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि SFC गोदाम गड़खा जिला सारण सहित बिहार के अन्य सभी SFC गोदामों में 50 किलोग्राम के बोरी का लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य मजदूरों द्वारा कराया जाता है, परन्तु श्रम संसाधन विभाग के उक्त निदेश का अनुपालन संवेदकों द्वारा नहीं किया जाता है साथ ही मजदूरी राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में भी नहीं किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराते हुये दोषी संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही मजदूरों के निर्धारित मजदूरी का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*2435. श्रीमती नीतु कुमारी (हिसुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम पंचायत सलीमापुर अन्तर्गत थाना नं० 54, खाता सं० 211, खेसरा/सर्वे सं० 463, रकबा-08 कट्ठा गैर-मजरुआ सरकारी जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गैर-मजरुआ जमीन को भूमिहीनों के बीच बासगीत पर्चा वितरण हेतु अंचलाधिकारी, मढ़ौरा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उप-समाहर्ता, भूमि सुधार व अनुमंडलाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा जिलाधिकारी, सारण को अनुशंसा भेजने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है, यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गैर-मजरुआ जमीन को भूमिहीनों के बीच पर्चा वितरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला का निर्माण

*2436. श्री मिथिलेश कुमार (सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं० 17 में अवस्थित गोविन्द नगर के गणिनाथ मंदिर की सड़क काफी जर्जर अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोविन्द नगर में गणिनाथ मंदिर से पश्चिम एवं रिंग बांध से दक्षिण जोन वाली पथ में लाल बाबू प्रसाद के घर से जितेन्द्र प्रसाद के घर तक पूर्व से उपलब्ध एवं क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़क एवं जीर्ण-शीर्ण नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विकसित करना

*2437. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में नवगठित अभियंत्रण कोषांग में संगठनात्मक संरचना को विकसित और सुदृढ़ करने के लिये विभिन्न स्तरीय अभियंताओं के पदवार आवश्यकता आधारित पद बल का उल्लेख करते हुये एवं प्रस्ताव विभागीय मुख्य अभियंता द्वारा पीत-पत्र के बदले गैर-सरकारी प्रेषण संख्या 37, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को प्रधान सचिव को समर्पित किया है, परन्तु अबतक इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार नवगठित अभियंत्रण कोषांग में संगठनात्मक संरचना को विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2438. श्री छोटे लाल राय (परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत बारी पथ से बिड़ला मंदिर कुरपेपार मार्केट के बगल से सब्जीबाग होते हुये अशोक राजपथ तक जानेवाली सड़क को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिस कारण उक्त पथ संकीर्ण हो गयी है, जिससे वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*2439. सुश्री श्रेयसी सिंह (जमुई)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत जमुई प्रखंड के मंझवे पंचायत के वार्ड संख्या 01, 02, 03, 05 और 06 में शुद्ध पेयजल की काफी किल्लत है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण करना

*2440. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत बोधगया नगर परिषद् के वार्ड संख्या 04, ग्राम-अमवां में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार नहीं होने से तालाब के पानी से बदबू फैल रहा है एवं तालाब अतिक्रमण का शिकार हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त तालाब को जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला निर्माण

*2441. श्री पवन कुमार यादव (कहलगांव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगांव नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 में स्थित संत शाही नगर में बैजू टोला मुख्य सड़क से यादव निवास, अमित दुबे के घर होते हुए बैजू टोला मुख्य सड़क तक के बसावट में पक्की सड़क एवं नाला नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बसावट में पक्की सड़क एवं ढक्कन सहित नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भागीदारी सुनिश्चित करना

*2442. श्री अजीत कुमार सिंह (डुमरांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्तमान में PHD द्वारा राज्य भर में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सृजन, सूत्रण, क्रियान्वयन, संचालन एवं मरम्मती के साथ मापन-सत्यापन इत्यादि में यांत्रिक अभियंताओं (मैकेनिकल इंजीनियर) एवं प्रमण्डलों की सहभागिता नहीं ली जा रही है, जिसके कारण जलापूर्ति केन्द्रों के यांत्रिक-विद्युतीय अवयव गुणात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार जलापूर्ति योजनाओं/ केन्द्रों के यांत्रिक अवयवों के सतत् क्रियान्वयन, संचालन हेतु यांत्रिक अभियंताओं (मैकेनिकल इंजीनियर) एवं प्रमण्डलों अभियंताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*2443. श्री ललित नारायण मंडल (सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नगर परिषद्, सुलतानगंज के वार्ड नं० 6 एवं 7 को जल निकासी नाला जो तारापुर रोड के मदरिया से कटहारा रोड पारकर पूरब की ओर जाती है, नक्शे में दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नाला अतिक्रमित होने के कारण जल निकासी नहीं होने से इन वार्डों में जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नाला का अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उसकी खुदाई करवाकर नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दाखिल-खारिज करना

*2444. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (बैकुंठपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सभी अंचलों में जमीन का दाखिल-खारिज एक साल से लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला के सभी अंचलों में दाखिल-खारिज का निष्पादन ससमय कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2445. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 मार्च, 2025 को प्रकाशित शीर्षक "मिलावट की छूट, बीमारियों को न्योता" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में विभाग की उदासीनता एवं खाद्य संरक्षण पदाधिकारियों की कमी के कारण दूध में फार्मोलिन एवं खाद्य सामग्रियों में मिलावट के दुष्प्रभाव से आमजन कैंसर, हृदय रोग, यादाश्त व मानसिक विकार, लिवर, किडनी, चर्म एवं पेट रोग जैसे गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार दूषित मिलावटी खाद्य सामग्री के उत्पादकों, वितरकों एवं बिक्रेताओं पर 10 लाख जुर्माना एवं छह माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार मिलावट करने वाले एवं इसकी जांच में शिथिलता बरतनेवाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ इसकी रोकथाम की समुचित व्यवस्था करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला का निर्माण

*2446. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय नगर पंचायत के वार्ड नं० 02 में मेन रोड से संजय साव, छोटे साव के घर से पास पानी टंकी एवं बर्सियाँवा महम्दपुर होते निर्मल बिगहा के स्वर्गीय लल्लू यादव के घर से पी०सी०सी० सड़क एवं ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाला के निर्माण हेतु एक वर्ष पूर्व डी०पी०आर० तैयार कर प्राक्कलित राशि 99.21 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को प्राप्त कराया गया है, जो अबतक लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त निर्माण कार्यों को कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना

*2447. श्री ऋषि कुमार (ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक घर में हर घर नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का सरकार का लक्ष्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् क्षेत्र के 25 प्रतिशत बसावटों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नल से जल का कनेक्शन नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*2448. श्री संजीव चौरसिया (दीघा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015-2016 में जेपी सेतु निर्माण के क्रम में दीघा में बसे परिवारों को विस्थापित कर प्रशासन द्वारा बिंद टोली में बसाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के अनुरूप उक्त सभी विस्थापित परिवारों को जमीन का पर्चा दिया जाना था लेकिन अबतक उनको जमीन का पर्चा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि विस्थापित परिवारों को जमीन का पर्चा देने की क्या योजना है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रिन्टर मशीन उपलब्ध कराना

*2449. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (दारौंदा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1)क्या यह बात सही है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली-2012 के तहत राज्य के प्रत्येक अंचल स्तर पर कार्यालय खोलकर अगस्त, 2024 से सर्वे का कार्य कराया जा रहा है, तथा रैयती जमीन का कागजात ऑनलाइन एवं ऑफलाइन लिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ऑनलाइन प्राप्त कागजात का प्रिन्ट आउट निकालने हेतु राज्य के किसी अंचल स्तर के कार्यालय में प्रिन्टर मशीन नहीं लगा है जिससे काफी असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सुचारू रूप से सर्वे कार्य चलाने हेतु अंचल स्तर पर प्रिन्टर मशीन मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोक हटाना

*2450. श्री विद्या सागर केशरी (फारबिसगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल के मौजा-भदेश्वर के खाता संख्या 470, खेसरा 219 के 24 डिसमिल जमीन से 07 डिसमिल जमीन वर्ष 2011 में फारबिसगंज से जोगबनी NH 57A के लिए अधिग्रहण कर भुगतान कर दिया गया एवं शेष भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक भू-अर्जन विभाग द्वारा लगा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित भूमि के अलावे वर्ष 2011 में फारबिसगंज से जोगबनी NH 57A के लिए अधिग्रहित सभी भूमि के शेष भाग पर भू-अर्जन विभाग द्वारा रोक लगा दिया गया है जिसके कारण भू-धारक जरूरत पड़ने पर भी भूमि का क्रय-विक्रय नहीं कर पा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक फारबिसगंज अंचल के वर्ष 2011 में फारबिसगंज से जोगबनी NH 57A के लिए अधिग्रहित भूमि के अलावे शेष बचे भाग पर भू-अर्जन विभाग द्वारा लगे रोक को हटाने का विचार रखती है,-नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2451. श्री इजहारूल हुसैन (किशनगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी पंचायत के वार्ड नं० 5 (देहलबाड़ी पश्चिम टोला) एवं वार्ड नं० 06 (देहलबाड़ी पूरब टोला) में हर घर नल का जल का कार्य अबतक अपूर्ण है और इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों को ग्रामीण द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी पेयजल की आपूर्ति नहीं करायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में जल की आपूर्ति एवं शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*2452. श्री उमाकांत सिंह (चनपटिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के बेतिया प्रवास के दौरान तत्कालीन माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अंचलाधिकारी, बेतिया सदर के भ्रष्टाचार और कार्यों में लापरवाही को लेकर दिनांक 15 जनवरी, 2025 पत्रांक 340/25 के माध्यम से शिकायत पत्र दिया गया जिसके आलोक में माननीय मंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचलाधिकारी, बेतिया सदर के भ्रष्टाचार एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किसी अन्य अंचलाधिकारी को प्रभार देने हेतु अग्रेषित किया, लेकिन अंचलाधिकारी, बेतिया सदर अभीतक अपने पद पर पदस्थापित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अंचलाधिकारी, बेतिया सदर का प्रभार किसी अन्य अंचलाधिकारी को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वास कराना

*2453. डॉ० रामानुज प्रसाद (सोनपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेरपुर-दिघवारा सिक्स लेन पुल निर्माण हेतु सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत अंतर्गत चकनूर एवं मीरपुर के 20 घर का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिनके पास घर के भूमि के अलावा कोई भूमि नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान के तहत सरकार को प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सुविधाएँ प्रदान करानी होती है, तथा इसमें रहने के लिये जगह, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चकनूर एवं मीरपुर के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 20 परिवारों को दिघवारा नगर पंचायत अंतर्गत रहने/बसने के लिये भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*2454. श्री ललित कुमार यादव (दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, राजस्व एवं सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार, राज्य के सभी अनुसूचित जाति/ जन-जाति भूमिहीन परिवारों को जमीन का वासगीत पर्चा देने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी प्रखंड के माऊँबेहट, भंडारिसोन वाजिदपुर, राजे, बलौर, ब्रह्मपुरा-भटपुरा, बघांत, जैतुका पैकटोल, उजान, गंगौली कनकपुर पंचायतों में अनुसचित/जन-जाति परिवार भूमिहीन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पंचायतों में बसे भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2455. श्री अजीत शर्मा (भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं०-08 में सी०टी०एस० पार्ट-2 के तहत बुडकों द्वारा निर्धारित समय सुबह 9 से 10 बजे तक हजारी साह लेन, मारवाड़ी पट्टी और चुन्नी साह लेन में जलापूर्ति नहीं की जा रही है जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त मुहल्लों में निर्धारित समयानुसार जलापूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*2456. श्री निरंजन राय (गायघाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बंदरा प्रखंड के मतलुपुर ग्राम में अवस्थित जल लाकर जलाभिषेक किया जाता है साथ ही विभिन्न अवसरों पर मंदिर परिसर में परम्परानुसार मेला का आयोजन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण मंदिर एवं मेला परिसर का विकास बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित मंदिर परिसर में लगने वाले मेला का प्राधिकार के अधीन करने एवं मेला को राजकीय दर्जा प्राप्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं नाला का निर्माण

*2457. श्री राम सिंह (बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर नगर परिषद् के वार्ड संख्या-2 में विवेक उपाध्याय के घर से दीपक सिंह के घर होते हुये आमोद उपाध्याय के घर तक पी०सी० सड़क एवं आर०सी०सी० नाली नहीं होने से इस वार्ड के घरों से दैनिक उपयोग के गंदे पानी की निकासी सड़क पर ही करना पड़ता है जिससे बरसात के दिनों में स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में पी०सी० सड़क एवं आर०सी०सी० नाला का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*2458. श्री गोपाल रविदास (फुलवारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ नगर परिषद् स्थित खाली पड़े जमीन पर स्वास्थ्य लाभ हेतु बच्चों के खेल-कूद एवं घुमने के लिये पार्क निर्माण की घोषणा वर्ष 2025 में मा० मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 19 वर्ष बाद भी उक्त पार्क का निर्माण आजतक नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पार्क का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन कार्यालय स्थापित करना

*2459. श्रीमती वीणा सिंह (महनार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार विधान सभा अन्तर्गत जन्दाहा प्रखंड में निबंधन कार्यालय नहीं होने के कारण जन्दाहा प्रखंड के 23 पंचायत, जिसमें 04 पंचायत के लोगों को भूमि निबंधन हेतु निबंधन कार्यालय, पातेपुर जो कि लगभग 30 कि० मी० है, और जन्दाहा के 17 पंचायत एवं नगर पंचायत जन्दाहा, के लोगों को भूमि निबंधन हेतु निबंधन कार्यालय, महुआ जो कि लगभग 30 कि० मी० है, जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार जन्दाहा प्रखंड में कबतक निबंधन कार्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फुट ओवर ब्रिज बनाना

*2460. डॉ० संजीव कुमार (परबत्ता)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत 7-8 वर्षों में पटना शहर के मेन रोड कंकड़बाग स्टेट बैंक और ओल्ड तिवारी बेचर पम्प (वर्तमान ग्रेविटी मॉल) के पास फुट आवेर ब्रिज नहीं रहने के कारण तेज गति से गाड़ी आने जाने के क्रम में सड़क पार कर रहे लगभग 40-45 लोगों की दुघर्टना में मृत्यु या गम्भीर शारीरिक चोट पहुँची है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त स्थल पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2461. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (नाथनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 48 की उपधारा 1 में निर्धारित है कि नगरपालिका अपने कार्य संचालन हेतु प्रत्येक माह कम-से-कम एक बार बैठक करेगी, परंतु नगर परिषद् बलिया, जिला-बेगूसराय की बैठक वर्ष 2024 में 12 बार के बदले मात्र तीन बार ही की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्य पार्षद, नगर परिषद् बलिया, के पुत्र के खाता सं०-41711053755 में डोर-टु-डोर कचरा कलेक्शन करनेवाली आउटसोर्सिंग कम्पनी के खाता सं०-18880210001349 से दिनांक 3 जून, 2024 को 3.00 लाख रुपये रिश्वत की राशि स्थानांतरित की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियमानुकूल बैठक नहीं बुलाने एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी से पैसे की वसूल करने वाले के खिलाफ कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*2462. श्री जनक सिंह (तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ईशुआपुर अंचल के ग्राम-गोहा रेलवे लाइन से सटे पुरब एवं ग्राम बजरहिया पश्चिम टोला में भूमिहीन परिवार छोटे-छोटे झोपड़ियों मे बसे हुये हैं, कबतक जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज का निर्माण

*2463. श्री विशाल प्रशांत (तरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो नगर परिषद् क्षेत्र में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल कार्यालय सहित अन्य सभी सरकारी कार्यालय परिसर एवं आम नागरिकों का घर जलमग्न हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित नगर परिषद् क्षेत्र में कबतक ड्रेनेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*2464. श्री राम सुरत कुमार (औराई)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड औराई प्रखंड के चहुँटा एवं शाही जीवर में सरकारी भवन नहीं होने के कारण किराये के भवन में पशु चिकित्सालय चलाये जाते है जो जर्जर हो चुके है, यथा उक्त पशु चिकित्सालय में 3 (तीन) डॉक्टरों के स्थान पर मात्र 2 (दो)ही पशु चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, एवं पशुधन सहायक भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर स्थित पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण एवं स्वीकृत पद के अनुरूप पशुधन सहायक एवं पशु चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान का लाभ देना

*2465. श्री आनन्द शंकर सिंह (औरंगाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बुडको निदेशक पर्षद की 71वीं बैठक में लिये गये निर्णय पर वित्त विभाग की सहमति दो (02) वर्षों बाद भी बुडको में विलयित बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को 7वाँ वेतनमान का लाभ अबतक नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कर्मियों को 7वाँ वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*2466. श्री संदीप सौरभ (पालीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजस्व कर्मचारी नियमावली के तहत राजस्व कर्मचारी जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, जिसका पदस्थापन एवं स्थानांतरण जिला के अंतर्गत ही हो सकता है परंतु वर्ष 2023 में राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति रैंडमाइजेशन द्वारा उनके गृह जिला से 200 से 300 किलो मीटर दूर किया गया जिसमें महिलायें और दिव्यांग भी शामिल हैं तथा राजस्व कर्मचारी का कार्य अंचल निरीक्षक के समकक्ष है जबकि उनके ग्रेड पे वेतन 1900 चतुर्थ वर्ग के ग्रेड पे वेतन जैसा है, यदि हाँ, तो सरकार राजस्व कर्मचारियों को नियमावली के अनुरूप पदस्थापित करने तथा उनका ग्रेड पे वेतन 2800 करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत शवदाह गृह चालू कराना

*2467. श्री चन्द्रशेखर (मधेपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय में 65 वर्ष पूर्व निर्मित विद्युत् शवदाह गृह आजतक चालू नहीं हुआ है, जिससे मृतकों के दाह-संस्कार में परिजनों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बंद पड़े विद्युत् शवदाह गृह को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2468. श्री विनय कुमार (गुरुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत बरोरह पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु मिठकी पोखर के पास आवंटित 3.5 एकड़ भूमि भवन निर्माण हेतु स्थानीय मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा शिलान्यास किया गया है परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि का फर्जी तरीके से कागजात बनवाने के कारण भवन निर्माण के कार्य पर रोक लगा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच करवाकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्मशान घाट की घेराबंदी

*2469. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं० 17 ग्राम-पचना एवं शेखपुरा प्रखंड के कैथवाँ पंचायत के ग्राम-मानपुर में श्मशान घाट अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त श्मशान घाटों की घेराबंदी नहीं कराये जाने के कारण वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित श्मशान घाटों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी कराना

*2470. श्री भाई वीरेन्द्र (मनेर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित मदिनवां मोहनपुर, राउत टोला सहित दर्जनों ग्रामों में पानी निकासी हेतु नमामि गंगे योजना के तहत किये जा रहे कार्य के दौरान संवेदक द्वारा गंगा पानी का बहाव स्थानीय कृषकों के उपजाऊ भूमि की ओर किये जाने से उक्त भूमि पर जल जमाव की स्थिति बन गयी है, जिसके कारण उक्त भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों का जल-जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2471. श्री संतोष कुमार मिश्र (करगहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के कोचस नगर पंचायत के वार्ड नं० 7 में शिवमुनी चौधरी के घर से राधेश्याम शाह, कृष्णा साह, राजू गुप्ता, सुरेश साह, भैरव साह, रामेश्वर तिवारी, रामेश्वर मास्टर के घर होते बजरंगी लाल के घर तक आजतक नाली एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण नहीं होने से सालों भर उक्त गली में जल-जमाव तथा कीचड़ एवं गंदगी भरा रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ में पी०सी०सी० सड़क एवं पक्की नाली का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*2472. श्री सिद्धार्थ सौरव (बिक्रम)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड बिक्रम, नौबतपुर, दुल्हिनबाजार एवं पालीगंज में विगत 1 वर्ष से पशु चिकित्सक पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण पशुपालकों को अपने पशु का इलाज कराने में काफी कठिनाई हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रखंडों में पशु चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोरिंग चालू कराना

*2473. श्री अजय यादव (अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम पंचायत बथानी के ग्राम-ओढनपुर के वार्ड नं० 1 में नल-जल योजना के तहत बोरिंग कराया गया है, परन्तु पाइप का कार्य नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम के वार्ड नं० 1 में नल-जल योजना अन्तर्गत पाइप बिछाकर बोरिंग चालू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*2474. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (राजा पाकर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के प्रखंड सहदेई बुजुर्ग अंतर्गत बिहजादी पंचायत के वार्ड नं० 15 में पिछले 05 वर्ष पूर्व नल-जल का पाइप लगने के बावजूद आजतक वहाँ जलापूर्ति शुरू नहीं होने से वहाँ की जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार वैशाली जिला के प्रखंड सहदेई बुजुर्ग अंतर्गत बिहजादी पंचायत के वार्ड न० 15 में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रद्द करना

*2475. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार के सभी जिला समाहर्ता को भेजे गये ज्ञापांक 970(7), दिनांक 23 अगस्त, 2016 के जरिये बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 के संदर्भ में जारी सर्कुलर में जमींदारी उन्मूलन के बाद दान दी गई खास गैर-मजरूआ जमीन की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसके कारण गरीबों के जमीन का परचा रद्द करने से लेकर जमीन से बेदखली का खतरा बढ़ गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पत्र को रद्द करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति करना

*2476. श्री कुमार शैलेन्द्र (बिहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के शहजादपुर पंचायत एवं बैकठपुर दुधैला पंचायत के सभी वार्डों में मुख्यमंत्री सात निश्चय जलापूर्ति योजना अंतर्गत चार वर्ष पूर्व पेय जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाया गया है उसके बावजूद अभी तक उक्त ग्राम पंचायत के सभी वार्डों के घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विभागीय अभियंताओं तथा संवेदक पर कार्रवाई करते हुए उक्त ग्राम पंचायत के सभी वार्डों के घरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*2477. श्री अजय कुमार (विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर अंचल के पंचायत गंगौली मंदा के गंगोली कोठी एवं भूसवर पंचायत के लिटियाही कॉलनी में 50 वर्षों से सैकड़ों दलित एवं महादलित परिवार बसे हुए है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दलित/महादलित परिवारों में यथा रंजीत दास, रकबा 0.05, खेसरा 1112, गंगौली, थाना नं० 20, चूनचूर पासवान, रकबा 0.01, खेसरा 1112, सुरेन्द्र पासवान, रकबा 0.05 खेसरा संख्या 1112 सहित सिर्फ 7 परिवारों को ही बासगीत पर्चा दी गई है, शेष परिवारों को अभीतक बासगीत पर्चा नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष बचे दलित एवं महादलित परिवारों को बासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव का निर्माण

*2478. श्री मुरारी मोहन झा (केवटी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी शहर में सरकारी बस पड़ाव नहीं रहने के कारण सरकारी बस सड़क पर लगने से जाम की समस्या बनी रहती है, जबकि बस पड़ाव हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार केवटी शहर में कबतक बस पड़ाव बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2479. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (सिकंदरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के अंचलाधिकारी, घोघरडीहा द्वारा दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित अन्य आवेदन बिना किसी ठोस कारण के महीनों/वर्षों तक लंबित रखा जा रहा है तथा निदेशक चकबंदी के पत्रांक 163, (9A), दिनांक 15 जनवरी, 2025 एवं डी०सी०एल०आर० फुलपरास के पत्रांक 925, दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 का अनुपालन भी अंचलाधिकारी, घोघरडीहा द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा अंचलाधिकारी द्वारा आमजनता को यह बताया जा रहा है कि सी०ओ० लॉगिन में जमाबंदी की अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में लंबित सभी आवेदनों के निष्पादन हेतु तकनीकी खामी को दूर करते हुए विलंब के लिए दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2480. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तत्कालीन अपर समाहर्ता अरवल के द्वारा श्री संजीव कुमार सिन्हा तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी-सह-निकासी व्ययन पदाधिकारी, अरवल पर भुगतान में गड़बड़ी तथा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों से अवैध तरीके से पैसे की उगाही के संबंध में प्रतिवेदन भूमि समाहर्ता अरवल के पत्रांक सं० 541, दिनांक 17 सितम्बर, 2024 द्वारा सर्वे निदेशालय को समर्पित किया गया है परन्तु इस संबंध में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इस प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिन्हा पर नियमानुसार कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बर्ड फ्लू जाँच केंद्र खोलना

*2481. श्री जितेंद्र कुमार (अस्थावां)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बर्ड फ्लू जाँच के लिये एक भी लैब नहीं होने के कारण जाँच के लिए सैंपल भोपाल एवं कोलकता भेजे जाते हैं और रिपोर्ट एक सप्ताह से अधिक समय के उपरांत प्राप्त होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना में पशु स्वास्थ्य व उत्पादन संस्थान परिसर में लैब खोलने की योजना वर्षों से लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में शीघ्रताशीघ्र बर्ड फ्लू जाँच/केंद्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच करना

*2482. श्री राम विशुन सिंह (जगदीशपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2024 तक नगर पंचायत जगदीशपुर में बिना ई- ट्रेडिंग किये ही सारी योजनाओं को स्वीकृत कर कार्य करा लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय का निर्माण

*2483. श्री महा नंद सिंह (अरवल)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के शहर तेलपा में पशु अस्पताल किराये के मकान में चल रहा है जबकि शहर तेलपा में पशु चिकित्सालय के लिए भवन निर्माण हेतु थाना नंबर 110, खाता नंबर 606, खेसरा 3848 में 50 डी० पशु चिकित्सालय हेतु भवन के लिए महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार के नाम रजिस्ट्री किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार शहर तेलपा में पशु चिकित्सालय हेतु उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*2484. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 233, दिनांक 15 मार्च, 2024 के आलोक में नवगठित नगर पंचायत, बसंतपुर के कार्यालय प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बसंतपुर के कार्यालय पत्रांक 77, दिनांक 18 मार्च, 2024 एवं पत्रांक 362, दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के द्वारा अंचल पदाधिकारी, बसंतपुर से भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार नवगठित नगर पंचायत, बसंतपुर के प्रशासनिक कार्यालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*2485. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (जहानाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री रामाधार शर्मा, सेवानिवृत मुख्य सफाई निरीक्षक, गया नगर निगम, गया को ज्ञापांक 596, दिनांक 28 अक्तूबर, 1997 एवं पुनः ज्ञापांक 26 (स्था०), दिनांक 26 जून, 1998 के द्वारा निलंबित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य सफाई निरीक्षक के विरुद्ध न तो कोई आरोप का गठन किया गया था और ना ही कोई आरोप प्रमाणित हुआ था ;

(3) क्या यह बात सही है कि निलम्बनादेश वापस लिये जाने के बावजूद भी अबतक श्री शर्मा को दिनांक 28 अक्तूबर, 1997 से दिनांक 5 फरवरी, 1998 एवं दिनांक 1 जून, 1998 से दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 तक का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवधि का वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2486. श्री मिथिलेश कुमार (सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पशुपालकों के द्वारा पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के तहत मोबाइल वेटेनरी यूनिट के संचालन हेतु बाम्या हेल्थ सर्विस प्रा०लि० एजेन्सी का चयन जून, 2024 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 534 प्रखण्डों के लिए इन मोबाइल यूनिट, (वाहन) पर 534 पशु चिकित्सक, 534 चालक एवं 534 कम्पाउण्डर का नियोजन विज्ञापन प्रकाशित कर आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए उक्त एजेन्सी द्वारा किया जाना था ;

(3) क्या यह बात सही है कि एजेन्सी द्वारा बिना विज्ञापन प्रकाशित किये एवं बिना आरक्षण के प्रावधनों का पालन किये चिकित्सक एवं कर्मियों का नियोजन कर लिया गया है जो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 13876, दिनांक 3 नवम्बर, 2017 का उल्लंघन है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रावधान का उल्लंघन करने वाली एजेन्सी को काली सूची में डालते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2487. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के धपरसिया एवं तेतलिया ग्राम पंचायत में पदस्थापित किसान सलाहकार विगत दो वर्षों से कार्यस्थल पर नहीं जाते हैं, जिससे किसानों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त किसान सलाहकारों पर कार्रवाई करते हुए इनका स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उचित मानदेय देना

*2488. श्री छोटे लाल राय (परसा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत दैनिक पशुरक्षक कर्मी लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, परन्तु इन कर्मियों के अभीतक अकुशल श्रेणी का भुगतान किया जा रहा है

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कर्मी को माननीय हाई कोर्ट अठारह हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के खिलाफ बिहार सरकार ने एल०पी०ए० नं० 1701/2018 हाई कोर्ट में दायर किया गया था जिसको हाई कोर्ट एल०पी०ए० नं० 1701/2018 को निष्पादन करते हुए सक्षम पदाधिकारी को तीन महीने के अन्दर इन कर्मियों को वर्ष 2018 से 18 हजार न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिये हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पशुरक्षक दैनिक कर्मियों को 2018 से 18 हजार मानदेय (वेतन) देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण करना

*2489. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत बोधगया नगर परिषद् के वार्ड संख्या-08, ग्राम-भगवानपुर स्थित तालाब का जीर्णोद्धार नहीं होने से तालाब के पानी से बदबू फैल रहा है एवं तालाब अतिक्रमण का शिकार हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*2490. श्री पवन कुमार यादव (कहलगांव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर-7 अंतर्गत अनीता राम के घर से सूफी मेडिकल तक नाला निर्माण सहित कुल 24 योजनाओं के निर्माण हेतु छठा वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से कुल राशि 74733881 की लागत से क्रियान्वयन हेतु निविदा संख्या-5/2023-2024, दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 को जारी की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि निविदा के 17 माह बीत जाने के बाद भी उक्त नाला निर्माण योजना सहित निविदा की 85 प्रतिशत योजनाओं पर अबतक कार्य शुरू नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नाला निर्माण योजना सहित शेष योजनाओं का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*2491. श्री अजीत कुमार सिंह (डुमरांव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के डुमराँव नगर परिषद् में बस स्टैंड नहीं होने से आमजन, महिलाएं, बच्चों, व्यापारियों को सड़क किनारे बस पकड़ना पड़ता है, जिससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बस स्टैंड निर्माण हेतु कैसरे हिन्द की एक एकड़ भूमि को चयनित किया गया है परन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा बार-बार पत्राचार के बाद भी उक्त भूमि विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डुमरांव नगर परिषद् में बस स्टैंड निर्माण हेतु चयनित भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मूलभूत सुविधा उपलब्ध

*2492. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर नगर परिषद् क्षेत्र में मुर्गिया चक मुहल्ला के आगे मुहाने नदी घाट पर श्मशान घाट है जहाँ प्रतिदिन दूर-दूर से लोग अंतिम संस्कार हेतु आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त श्मशान घाट पर चबूतरा, स्नानघर, पेयजल एवं सामुदायिक भवन के साथ चहारदीवारी नहीं रहने के कारण वहाँ आने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त श्मशान घाट पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुये विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमित करना

*2493. श्री ऋषि कुमार (ओबरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के संकल्प सं0-12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के आलोक में दिनांक 12 फरवरी, 2019 को मंत्रिपरिषद् की निर्णय के तहत 222 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को संविदा पर नियोजित किया गया था, कार्य अनुभव के आधार पर इन्हें नियमित किये बगैर वर्तमान में BPSC द्वारा परीक्षा लेकर 318 उक्त पद के विरुद्ध 315 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्व से कार्यरत प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को भी सक्षमता परीक्षा लेकर उनको नियमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डाटा अपलोड का साइज बढ़ना

*2494. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (दरौंदा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन का कागजात सर्वे कार्य हेतु अगस्त 2024 से ऑनलाइन लिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमीन का कागजात ऑनलाइन लेने में 3 एम0 बी0 तक का डाटा अपलोड हो रहा है तथा उससे अधिक डाटा वाले कागजात ऑनलाइन में अपलोड होने से वंचित हो जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 3 एम0 बी0 डाटा की सीमा समाप्त कर 3 से अधिक एम0 बी0 वाले कागजात का डाटा ऑनलाइन में अपलोड करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फर्जी बंदोबस्ती रद्द करना

*2495. श्री विद्या सागर केशरी (फारबिसगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल कार्यालय के ज्ञापन संख्या 1835, दिनांक 16 जून, 2017 के आलोक में हल्का-04 के संबंधित मामले में एक ही परिवार के द्वारा फर्जी तरीके से मौजा-बाघमारा, खमकोल, खैरखा, अम्हारा, पोटरी, डुमरिया, रंगदाहा, बेलय एवं अन्य मौजा में लगभग 89 एकड़ सरकारी भूमि का बंदोबस्ती करा लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित मामले में अंचलाधिकारी फारबिसगंज द्वारा जांचोपरांत सभी फर्जी बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा होने के बाद भी आजतक फर्जी बंदोबस्ती रद्द नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित फारबिसगंज अंचल के उक्त मौजा में लगभग 89 एकड़ सरकारी भूमि के फर्जी बंदोबस्ती को रद्द कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*2496. श्री उमाकांत सिंह (चनपटिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत नगर पंचायत चनपटिया में एक भी शवदाह गृह नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत चनपटिया के वार्ड संख्या-02 में पकड़िया घाट पर शवदाह गृह का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*2497. श्री राम सिंह (बगहा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत बगहा में बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ के कटाव से विस्थापित हो जाने के कारण 352 एकड़ रेलवे के त्रिकोण लाइन के बीच वाले भूमि पर बाढ़ से विस्थापित लोगों को प्रशासन के द्वारा 52 साल पूर्व कैलाशनगर बगहा में बसा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, पटना ने बगहा के इस जमीन की अदला-बदली के लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास दिनांक 11 अगस्त, 2006 को भेजा है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार भूमि की अदला-बदली कर कैलाशनगर बगहा में बसे 13-14 हजार लोगों भूमि का वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाना

*2498. श्रीमती वीणा सिंह (महनार)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार विधान सभा अन्तर्गत हसनपुर गंगा किनारे गंगा के पानी में काफी गंदगी है, जिससे हसनपुर गंगा तट किनारे बसे लोगों को गंगा के पानी का उपयोग करना बहुत मुश्किल हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में हसनपुर गंगा किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाकर गंगा के पानी को साफ कर ग्रामीण लोगों को गंगा का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*2499. डॉ0 संजीव कुमार (परबत्ता)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, गोगरी जमालपुर के वार्ड संख्या 22 एवं 29 के फकीर टोला, पासवान टोला, गुलाम घोष टोला में जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहाँ के लोग साल के लगभग 9 माह गंदे पानी के बीच रहने के विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों वार्ड में नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*2500. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (नाथनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक, बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणक एजेंसी, पटना (बसोका) के आदेशानुसार स्वीकृत प्राक्कलन के आलोक में 100 के0वी0ए0 का विद्युत् कनेक्शन एवं 200 के0वी0ए0 के एच0टी0 ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन का कार्य दिनांक 12 जुलाई, 2023 को सम्पन्न कर दिया गया, जिसका उपभोक्ता संख्या-108641234 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बसोका के पत्रांक 814, दिनांक 05 जनवरी, 2024 द्वारा मांगी गयी वांछित सूचनाएं संवेदक एस0एस0 कंस्ट्रक्शन एंड गणपति इंटरप्राईजेज, पटना द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2024 को ही समर्पित कर दी गयी, परंतु एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आजतक उपर्युक्त कार्य का भुगतान संवेदक को नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संवेदक द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पक्के दुकान का निर्माण

*2501. श्री विशाल प्रशांत (तरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो नगर परिषद् क्षेत्र में पक्के दुकान नहीं रहने के कारण फल, मीट, मछली, आदि की बिक्री सड़क के किनारे खुले तौर पर की जाती है, जिससे आम नागरिकों को दूषित भोज्य पदार्थ क्रय करना मजबूरी हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पीरो नगर परिषद् क्षेत्र में पक्के दुकान का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 27 मार्च, 2025 (ई0)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

बि0स0मु0-103(एल0 ए0)-2024-25-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025